इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
INDIRA GANDHI NATIONAL OPEN UNIVERSITY

क्षेत्रीय केंद्र, जबलपुर / Regional Centre, Jabalpur

द्वितीय तल, राजशेखर भवन, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय परिसर, पचपेड़ी, जबलपुर - 482001, (म.प्र.)

2nd Floor, Rajshekhar Bhawan, R.D.V.V. Campus, Pachpedhi, Jabalpur – 482001, (M.P.)

दूरभाष/ Phone : 0761-2600411, 2609896, ईमेल/Email : rcjabalpur@ignou.ac.in, वेब/ Web : www.rcjabalpur.ignou.ac.in

नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023

महिला सशक्तिकरण अधिनियम, 2023 (106वां संवैधानिक संशोधन) के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में एक तिहाई (33%) सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। सितंबर 2023 में पारित यह ऐतिहासिक कानून जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा और इसका उद्देश्य विधायी निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 की मुख्य बातें :

- **आरक्षण का दायरा :** लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से भरी जाने वाली कुल सीटों में से एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
- **अनुच्छेद में संशोधन/जोड़ :** इस अधिनियम के तहत संविधान में नए अनुच्छेद 330A और 332A जोड़े गए हैं, जो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करते हैं।
- **SC/ST आरक्षण :** आरक्षित सीटों में से एक-तिहाई सीटें अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की महिलाओं के लिए भी आरक्षित की गई हैं।
- **लागू करने की प्रक्रिया :** यह कानून जनगणना (Census) और उसके बाद होने वाली परिसीमन (Delimitation) की प्रक्रिया के पूरा होने के बाद लागू होगा।
- **अवधि :** यह आरक्षण 15 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा और इसके बाद इसे बढ़ाया जा सकता है।
- **सीटों की रोटेशन :** प्रत्येक परिसीमन के बाद महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को रोटेट (बदला) किया जाएगा।

यह विधेयक 1996 से लंबित था, जिसे सितंबर 2023 में संसद के विशेष सत्र के दौरान दोनों सदनों में पारित किया गया और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन गया।

106वां संशोधन अधिनियम 2023 क्या है?

भारत की संसद ने सितंबर 2023 में संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023 (106वां संशोधन) पारित किया, जिसमें संसद, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित की गईं।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 कौन सा संशोधन है?

संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम , जिसे लोकप्रिय रूप से महिला आरक्षण विधेयक, 2023 (आईएसओ 15919 : नारी शक्ति वंदन अधिनियम) के नाम से जाना जाता है, संसद के विशेष सत्र के दौरान 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम कब लागू हुआ था?

नारी शक्ति अब सिर्फ चर्चा नहीं, बल्कि देश की दिशा तय करने वाली असली ताकत बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच से 2023 में पास हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को 33% भागीदारी का अधिकार देता है—और अब 2011 के डेटा से इसे लागू करने का रास्ता भी साफ हो गया है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक 2023

नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक 2023 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में पारित हुआ था। इस विधेयक का उद्देश्य प्रस्तावित कानून के तहत महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण करना था ।

106 में 104 वां संशोधन क्या है?

104वें संशोधन के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया है , जबकि 105वें संशोधन के तहत महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को बहाल किया गया है। अंत में, 106वें संशोधन का उद्देश्य एक तिहाई आरक्षण के माध्यम से विधायी निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाना है।

10 महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार कहाँ आरक्षण नहीं दिया गया है?

संविधान लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान नहीं करता।

संविधान 2023 का 106 वां संशोधन क्या है?

106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2023 परिसीमन के बाद लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण सुनिश्चित करता है । 106वें संशोधन अधिनियम, 2023 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

क्या 106वां संविधान संशोधन महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करता है?

106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2023 परिसीमन के बाद लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण सुनिश्चित करता है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के क्या महत्व हैं?

संविधान (106वां संविधान संशोधन) अधिनियम, जिसे महिला आरक्षण विधेयक, 2023 के नाम से जाना जाता है। यह विधेयक संसद के विशेष सत्र के दौरान 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य वर्तमान में निर्वाचित लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आवंटित करना है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू किया गया है?

अंततः, सितंबर 2023 में, संसद ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है ।

(डॉ. सोमासी श्रीनिवास)
क्षेत्रीय निदेशक